भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 191

गुरूवार, 12 दिसंबर, 2024 / 21 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

***191. श्री कार्तिकेय शर्मा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना की वर्तमान पहुंच और दायरा क्या है और तत्संबंधी नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के लिए कामगारों को निरंतर अंशदान कर पाने में, विशेषकर आय की अनिश्चितता अथवा रोजगार छूट जाने की अवधि के दौरान पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत नामांकन बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**

"प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना" के संबंध में श्री कार्तिकेय शर्मा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 191 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): वर्ष 2019 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। नामांकन की आयु 18 से 40 वर्ष है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान लाभार्थियों और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

दिनांक 09.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 50,84,059 लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पीएम-एसवाईएम योजना में निरंतर अंशदान करने में कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए, पीएम-एसवाईएम के लाभार्थियों को ब्याज और जुर्माने के साथ अदत्त किस्त का भुगतान करने पर चूक की तारीख से 3 वर्ष तक डिफ़ॉल्ट/ निष्क्रिय/ उचंत खाते को दोबारा से शुरू करने की अनुमति है।

पीएम-एसवाईएम में नामांकन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के राज्य प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकें, पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफा एकीकरण, एसएमएस अभियान, कामगारों को अंशदान का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल; निःशुल्क खाता विवरण देखने की सुविधा शामिल हैं।

अनुबंध

"प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना" के संबंध में श्री कार्तिकेय शर्मा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 191 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत राज्य-वार पंजीकरण (दिनांक 09.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नामांकन संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2355
आंध्र प्रदेश	171091
अरुणाचल प्रदेश	3218
असम	43287
बिहार	220615
चंडीगढ़	4368
छत्तीसगढ	231707
दिल्ली	10965
गोवा	2007
गुजरात	390573
हरियाणा	825928
हिमाचल प्रदेश	47799
जम्मू और कश्मीर	74688
झारखंड	137647
कर्नाटक	174794
केरल	15845
लद्दाख	1477
लक्षद्वीप	21
मध्य प्रदेश	182093
महाराष्ट्र	619968
मणिपुर	6011
मेघालय	5962
मिजोरम	1610
नागालैंड	5036
ओडिशा	188863
पुदुचेरी	6809
पंजाब	58997
राजस्थान	146625
सिक्किम	333
तमिलनाडु	68741
तेलंगाना	44271
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1659
त्रिपुरा	33888
उत्तर प्रदेश	691171
उत्तराखंड	39494
पश्चिम बंगाल	117540
पंजीकरण	45,77,456
सामूहिक पंजीकरण	5,06,603
कुल पंजीकरण	50,84,059

डाटा स्रोत: सीएससी
